...की क्रम ...या और तारीख	अनुमति वाद संख्या :–34 / 17–18 आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर... कार्रवाई ... टिप्पणी, ... सं...

...8.17

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। अंचल अधिकारी, *चक्रधरपुर* के पत्रांक 563(बी०) दिनांक 07.07.2017 के द्वारा जांच प्रतिवेदन प्राप्त है, जांच प्रतिवेदन के अनुसार भूमि विक्री की अनुशंसा की गई है। क्रेता एवं विक्रेता जमीन क्रय एवं विक्रय हेतु सहमत है। भूमि विक्री की अनुमति दी जाती है।

आवेदक / आवेदिका श्री निरंजन सुन्डी, पिता स्व0 गाला सुन्डी, ग्राम–वार्ड नं0–02, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प० सिंहभूम, जाति–"हो" ने श्रीमती सुमी बोदरा, पति स्व0 शिव कुमार बोदरा, ग्राम–वार्ड नं0–08, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प० सिंहभूम, जाति "हो" के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
जोगीबेड़ा	77	53	21	0.10 ए0

नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, *चक्रधरपुर के* जॉच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम मुगडू हो, पिता सोमा हो तथा सादो हो, पिता–सिरका हो इत्यादि हैं। पंजी II के पृष्ठ संख्या 25, Volume-II में मुगडू हो, पिता सोमा हो के नाम से लगान कायम है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकवा 2.78 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना–चक्रधरपुर के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे ईलाज कराने हेतु विक्री करना चाहते हैं। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने आवेदक क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री निरंजन सुन्डी, पिता स्व0 गाला सुन्डी, ग्राम–वार्ड नं0–02, थाना–चक्रधरपुर, जिला–प० सिंहभूम, को श्रीमती सुमी बोदरा, पति स्व0 शिव कुमार बोदरा, ग्राम–वार्ड नं0–08, थाना–चक्रधरपुर, जिला– प० सिंहभूम के साथ ग्राम जोगीबेड़ा के खाता सं0 53 खेसरा संख्या 21 का रकबा 0.10 एकड़ भूमि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की **अनुमति** दी जाती है।

18-8-17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर

लेखापित एवं संशोधित

18-8-17

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर